



आपणी बेटी योजना,पाली



जिला प्रशासन,पाली

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,पाली

जिले के समस्त निजी चिकित्सकों

सोनोग्राफी केन्द्रों के चिकित्सकों का साझा प्रयास

आओ हाथ बढायें

बेटी बचायें

बेटी पढायें

बेटी है तो जीवन है ।



आपणी बेटी योजना
के शुभारम्भ समारोह में
आपका हार्दिक स्वागत
एवं अभिनन्दन

आपणी बेटी योजना,पाली



हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के बेहद अनूठे, अतिमहत्वपूर्ण एवं नवाचारी प्रकल्प " बेटी बचाओ— बेटी पढाओ " प्रेरणा लेकर यह तय किया गया है कि जिले में अभावग्रस्त जीवनयापन कर रही गरीब बेटियों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न कर उनके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करना जिला प्रशासन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा आमजन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है।

आपणी बेटी योजना,पाली



जिले की गरीब एवं अभावग्रस्त कुछ बेटियों का जीवन यदि संवर जाता है,तो हम सब के लिये यह बहुत ही गर्व की बात होगी। इन गरीब अभावग्रस्त बेटियों की बेहतर शिक्षा ,व्यवस्थित जीवन तथा सुखद भविष्य का यदि उचित प्रबन्धन हो जाता है,तो समाज सेवा का ये अनूठा उदाहरण होगा तथा अन्य लोग भी इससे प्रेरित होकर और अधिक बेटियों को जीवन को संवारने में जुट सकेंगे तथा समाज में कोई भी गरीब अभावग्रस्त बेटी शिक्षा एवं सुखद जीवन से वंचित नहीं रहेगी। तभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उक्त प्रकल्प का सच्चे अर्थों में अनुकरण होगा।



इन्हीं परिकल्पनाओं के साथ पाली जिला कलक्टर श्री कुमारपाल जी गौतम की प्रेरणा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एस. शेखावत की पहल पर जिला पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ, पाली द्वारा राजस्थान बेटी बचाओ प्रकोष्ठ द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में पाली जिले में " **आपणी बेटी योजना** " लागू की जानी प्रस्तावित है। योजना के प्रथम चरण में पाली जिले में संचालित समस्त सोनोग्राफी केन्द्रों के चिकित्सकों तथा जिले में कार्यरत निजी चिकित्सकों के सक्रिय सहयोग से इस योजना को शुरू किया जायेगा।

- अगले चरण में इस योजना का विस्तार कर अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ा जायेगा। प्रारम्भ में योजना के अंतर्गत जिले के समस्त सोनोग्राफी केन्द्रों के चिकित्सकों तथा जिले में संचालित निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स आदि के चिकित्सकों से चर्चा कर उनकी लिखित सहमति के आधार पर प्रत्येक चिकित्सक को एक एक गरीब एवं अभावग्रस्त बेटी को उन्हें गोद दिया जायेगा।

- गोद दी जाने समस्त बेटियों के एक जैसे पहचान पत्र बनवाये जायेंगे, जिन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

इस कार्ड को किसी भी अस्पताल में दिखाने पर उसका निःशुल्क उपचार किया जा सकेगा।



गोद दी गई समस्त बेटियों को डाटाबेस जिला पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ, पाली द्वारा तैयार किया जाकर समय समय पर इसे अपडेट किया जायेगा।

जिस बेटी को उन्हें गोद दिया जायेगा, उस बेटी के लिये निम्नलिखित सुविधा जुटाने का कार्य गोद लेने वाले चिकित्सक द्वारा किया जायेगा :-



गोद ली हुई बेटी का सरकारी अथवा निजी स्कूल में एडमिशन करवाना तथा स्कूल की समस्त प्रकार की फीस जमा करवाना ।

गोद ली हुई बेटी की वर्दी के दो सैट सिलवा कर उपलब्ध करवाना ।

बेटी के लिये स्कूल हेतु आवश्यक सामग्री यथा किताबें, कॉपियां, रजिस्टर्स, पैन, पैन्सिल, ज्योमैट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, जूते, मौजे, बैल्ट, नैकटाई, गर्म कपड़े क्रय कर उसे उपलब्ध करवाना ।



कमशः

बेटी के पहचान पत्र बनवाने की व्यवस्था करना ।

बेटी के लिये स्कूल से घर आने जाने हेतु टैक्सी का भाड़ा उपलब्ध करवाना ।

बेटी का जन्म दिवस मनाया जाना ।

बेटी के बीमार होने पर समस्त प्रकार के व्यय की जिम्मेदारी लेना ।



कमशः

बेटी के परिजनों से नियमितरूप से सम्पर्क में रह कर उसकी प्रगति को अपडेट रखना । नियमितरूप से बेटी के घर जाकर उसके पारीवारिक महोल का आंकलन कर उसमें सुधार करवाना ।

बेटी की एक बड़ी फोटो अस्पताल के प्रवेश पर लगवाना तथा उसे उस अस्पताल की ब्रांड एम्बैसैडर का दर्जा प्रदान करना ।



कमशः

बालिकाओं को विशेष त्यौहारों जैसे होली, दीपावली, ईद, जन्मदिवस पर भावनात्मक सम्बल प्रदान करने की गतिविधियां आयोजित करना ।

चिकित्सकों द्वारा परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जायेगी ।

इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य सहायता सम्बंधित चिकित्सक द्वारा की जा सकती है ।

इस प्रकार बेटी पर एक वर्ष में लगभग 10000 /— तक का व्यय होना सम्भावित है । चिकित्सक चाहें तो वे स्वेच्छा से एक से अधिक बेटियों को भी गोद ले सकते हैं ।

आपणी बेटी योजना में गरीब एवं अभावग्रस्त बालिकाओं के चयन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग तथा बेटी बचाओ अभियान से जुड़े सामाजिक संगठनों को दी जानी प्रस्तावित है। चिकित्सक चाहें तो वे स्वयं के स्तर से अपने क्षेत्र में ही बालिका का चयन कर सकते हैं, लेकिन बालिका को गोद लेने से पूर्व उसकी सूचना जिला प्रशासन को देकर उसका सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।

आपणी बेटी योजना के अंतर्गत ही पाली जिले की निवासी कोई भी गर्भवती महिला यदि किसी भी निजी चिकित्सालय में अपना प्रसव करवाती है तथा यदि गर्भवती महिला बालिका को जन्म देती है, तो उस चिकित्सालय द्वारा उसके बिल में से 1000 रु. की छूट बेटी पैदा होने की खुशी में प्रदान की जानी प्रस्तावित है।



आपणी बेटी योजना के अंतर्गत ही पाली जिले की निवासी कोई भी 18 वर्ष से कम आयु की अविवाहित बालिका यदि इन निजी चिकित्सालयों में चिकित्सकों से परामर्श के लिये आती है, तो उसे निःशुल्क परामर्श किया जाना प्रस्तावित है ।



आपणी बेटी योजना के अंतर्गत ही पाली
जिले के समस्त निजी चिकित्सक
रक्षाबंधन एवं महिला दिवस आदि
अवसरों पर समस्त महिलाओं का परामर्श
निःशुल्क करेंगे।



आपणी बेटी योजना में प्रदत्त विशेष
रियायतों का चिकित्सालय में एक बड़ा
साईन बोर्ड लगवायेंगे।

आपणी बेटी योजना,पाली ।

जिला प्रशासन,चिकित्सा विभाग तथा निजी चिकित्कों का साझा प्रयास
बिटिया का पहचान पत्र

स्कूल का नाम :
बिटिया का नाम :
पिता का नाम :
पता :
पिता के फोन नम्बर :
ब्लड ग्रुप :
गोद लेने वाले चिकित्सक का नाम :
संस्थान का नाम :

बिटिया का
फोटो



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,पाली

आपणी बेटी योजना में सहभागी बनने हेतु दिया जाने वाला सहमति प्रपत्र

मैं डॉ.....पुत्र/पत्नि श्री/डॉ.....

पता.....चिकित्सा संस्थान का नाम.....

ने जिला प्रशासन,पाली , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,पाली तथा पाली जिले के विभिन्न निजी चिकित्सकों के सहयोग से संचालित की जाने वाली प्रस्तावित नवाचार योजना " आपणी बेटी योजना " में स्वेच्छा से सहयोगी बनने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ तथा मैं एक गरीब अभावग्रस्त बेटी को गोद लेने की भी सहमति प्रदान करता/करती हूँ। गोद लेने के बाद उस बेटी की बेहतर शिक्षा,उसके निःशुल्क उपचार एवं अन्य सामाजिक उत्तरदायित्वों में यथाशक्ति आर्थिक सहयोग करने हेतु भी सहमत हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि पाली जिले की कोई भी गर्भवती महिला का प्रसव यदि हमारे चिकित्सालाय में होता है तथा उसके यदि बेटी पैदा होती है,तो उस महिला के बिल में 1000/- की अतिरिक्त छूट बेटी के नाम की दी जायेगी तथा आपणी बेटी योजना में पंजीकृत समस्त बेटियों का हमारे चिकित्सालय में निःशुल्क ईलाज किया जायेगा ।हमारे चिकित्सालय में 18 वर्ष से कम आयु की समस्त अविवाहित बालिकाओं का निःशुल्क परामर्श किया जायेगा ।रक्षाबंधन एवं महिला दिवस पर जिले की समस्त महिलाओं एवं बालिकाओं निःशुल्क परामर्श किया जायेगा ।

बेटी गोद लेने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर.....

बेटी गोद लेने वाले चिकित्सक का नाम:.....

स्थान.....दिनांक.....मोबाईल नम्बर.....

चिकित्सालय की मोहर.....



बेटी को गोद लेने वाले चिकित्सक द्वारा दिया जाने वाला करार प्रपत्र

मैं डॉ.....पुत्र / पत्नि श्री / डॉ.....पता.....

.....चिकित्सा संस्थान का नाम.....

.....ने जिला प्रशासन,पाली , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,पाली तथा पाली

जिले के विभिन्न निजी चिकित्सकों के सहयोग से संचालित नवाचार योजना " **आपणी बेटी योजना,पाली** " के अंतर्गत मैं स्वेच्छा से एक गरीब अभावग्रस्त बेटी सुश्री.....

पुत्री श्री.....पता.....जिसके पिता के फोन नम्बर.....

.....हैं, जिसकी जन्मतिथि.....है, जिसका रक्त समूह.....

....है, को गोद लेता / लेती हूँ। मैं इस बेटी की बेहतर शिक्षा,उसके निःशुल्क उपचार एवं अन्य सामाजिक उत्तरदायित्वों में यथाशक्ति आर्थिक सहयोग करने की स्वेच्छा से जिम्मेदारी लेता / लेती हूँ।

बेटी का फोटो

बेटी के पिता / माता के हस्ताक्षर.....नाम.....

बेटी गोद लेने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर.....

बेटी गोद लेने वाले चिकित्सक का नाम:.....

स्थान.....दिनांक.....मोबाईल नम्बर.....

चिकित्सालय की मोहर.....



आप सभी का धन्यवाद



आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं ।